न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1421–तीन/2006 विरुद्ध आदेश दिनांक 15–5–2006 – पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 430/1991–92 अपील

धर्मदास पुत्र गंगा जायसवाल
(मृतक वारिसान)
1– श्रीमती रामकली पत्नि धर्मदास
2– शिवमूरत पुत्र धर्मदास
दोनों ग्राम गहिलवार तहसील सिरमोर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरुद्ध

1– अंगद पुत्र भगवानदास
2– अयोध्याप्रसाद पुत्र गंगा जायसवाल
(मृतक वारिसान)
1. परवतिया उर्फ चन्द्रकली पत्नि अयोध्याप्रसाद
2. रामनरेश
3. श्यामसुन्दर तीनों पुत्रगण अयोध्याप्रसाद
4. रामनारायण
5. रबी पुत्र शिवनारायण जायसवाल
6. विद्यावती पत्नि शिवनारायण जायसवाल
3– सिद्धगोपाल राम पुत्र माध्यवप्रसाद
(मृतक वारिसान)
1. उमेश त्रिपाठी
2. गुड्डू दोनों पुत्रगण रामलखन त्रिपाठी
4– बाल्मीकराम पुत्र माध्यव प्रसाद
(मृतक वारिसान)
1. कामता प्रसाद
2. रामकिशोर दोनों पुत्रगण स्व.वाल्मीकराम
5– शंभूप्रसाद पुत्र स्व. माध्यवप्रसाद
(मृतक वारिसान)
1. बृजेश त्रिपाठी
2. प्रदीप त्रिपाठी तीनों पुत्रगण स्व.शंभूप्रसाद
3. मनोजप्रसाद त्रिपाठी

4. श्रीमती धन्नी पत्नि स्व.शंभूप्रसाद
6– बैजनाथ पुत्र स्व. माध्यव प्रसाद
(मृतक वारिसान)
अमृतलाल त्रिपाठी पुत्र बैधनाथ
सभी निवासी ग्रामबुसौल तहसील सेमरिया
जिला रीवा मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श
(आज दिनांक 11–8–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण 430/1991–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–5–2006 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने नायव तहसीलदार सेमरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा गहिलावार की भूमि सर्वे कमांक 72 रकबा 2–98 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) प्रतिवादीगण से कय करके काविज है इसलिये खसरा में भूमि विकेता के बजाय भूमि उनके नाम पर अंकित की जाय। नायव तहसीलदार सेमरिया ने प्रकरण कामंक 50 अ–6/1982–83 पॅजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 18–2–1985 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 201/अ–6/1987–88 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–4–92 से अपील स्वीकार की एंव नायव तहसीलदार सिरमौर का आदेश दिनांक 10–1–85 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा

के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण 430/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि विक्रय के पूर्व शासकीय अभिलेख में सिद्धगोपाल के नाम पर दर्ज है एंव वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर केतागण का नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 18-2-85 से नामान्तरण किया है, भूमि विकेता रनछोरदास के नाम पर नहीं थी अपितु शासकीय अभिलेख में विक्रय विलेख में अंकित भूमि सिद्धगोपाल आदि के नाम से दर्ज थी । अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने सुनवाई के दौरान पाया है रनछोरदास व्दारा किया गया विक्रय पत्र अपॅजीयत है जिसका वैधानिक मूल्य नहीं है एंव सादे कागज पर लिखा गया है इसके वाद भी नायब तहसीलदार सेमरिया ने प्रकरण कामंक 50 अ-6/1982-83 में पारित आदेश दिनांक 18-2-1985 से अनुचित विक्रय पत्र के आधार पर दर्शाए गए केतागण का त्रृटिपूर्ण ढंग से नामान्तरण किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 201/अ-6/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-4-92 से नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण 430/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-2006 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर व्दारा आदेश दिनांक

28-4-92 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 15-5-2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण 430/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर